पत्र सूचना शाखा
सूचना एवं जन सम्पर्क विभाग उत्तर प्रदेश

मुख्य निर्वाचन अधिकारी ने जिला निर्वाचन अधिकारियों के प्रशिक्षण सत्र में दिये आवश्यक निर्देश

मजबूत लोकतंत्र के लिए मतदाता सूची स्पष्ट व त्रुटिरहित हो

मतदाता सूची सम्बन्धित शिकायतों का समाधान गम्भीरता से करायें

प्रत्येक मतदेय स्थल पर अधिकतम 1200 मतदाताओं की संख्या के आधार पर सम्भाजन की कार्यवाही समय से पूर्ण की जाय

लखनऊ : 10 जुलाई, 2025

प्रदेश के मुख्य निर्वाचन अधिकारी श्री नवदीप रिणवा ने गुरूवार को वाराणसी में आयोजित प्रशिक्षण सत्र में जिला निर्वाचन अधिकारियों को भारत निर्वाचन आयोग के कार्यक्रमों एवं दिशा–निर्देशों से अवगत कराया। उन्होंने जिला निर्वाचन अधिकारियों को प्रशिक्षण के माध्यम से मतदाता सूची को अपडेट करने, प्रत्येक मतदेय स्थल को अधिकतम 1200 मतदाताओं के साथ मतदेय स्थलों का संभाजन एवं संविधान के प्राविधानों से लेकर लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम–1950, रजिस्ट्रेशन ऑफ इलेक्ट्रोरल रोल–1960 तथा भारत निर्वाचन आयोग के अलग–अलग मैन्युअल्स की जानकारी दी।

प्रशिक्षण के दौरान मुख्य निर्वाचन अधिकारी ने निर्देश दिये कि प्रत्येक मतदेय स्थल पर अधिकतम 1200 मतदाताओं की संख्या के आधार पर सम्भाजन की कार्यवाही समय से पूर्ण की जाय। उन्होने कहा कि सम्भाजन की कार्यवाही एवं मतदाता सूची को अपडेट करते समय इस बात का विशेष ध्यान रखा जाय कि परिवार के सभी सदस्यों का नाम एक ही पोलिंग बूथ की मतदाता सूची में अंकित रहे। जेंडर रेशियों में सुधार किया जाए। मतदाता सूची स्पष्ट, त्रुटिरहित तथा मतदाताओं की फोटो साफ सुथरी लगी हो, जिससे पहचान करने मे असुविधा न हो। बीएलओ की नियमानुसार नियुक्ति तथा मतदाता सूची सम्बन्धित शिकायतों का समाधान गम्भीरता से करायें। राजनैतिक दलों के प्रतिनिधियों के साथ जिला निर्वाचन अधिकारी बैठक करने के साथ वेयर हाउस का नियमित निरीक्षण भी करें। ईआरओ के द्वारा एईआरओ, बीएलओ सुपरवाइजर को प्रशिक्षित कर उनके माध्यम से छोटे–छोटे समूहों में बीएलओ को भी प्रशिक्षित किया जाय। उन्होंने ईआरओ नेट, बीएलओ एप, वोटर सर्विस पोर्टल एवं वोटर हेल्पलाइन एप के बारे में भी जानकारी दी।

मुख्य निर्वाचन अधिकारी ने बताया कि पहली बार जिला निर्वाचन अधिकारियों का भौतिक प्रशिक्षण कराया जा रहा है, जिससे कि आने वाले मतदाता सूची पुनरीक्षण के समय या चुनाव के समय किसी भी मतदाता को किसी भी प्रकार की परेशानी न हो, इसका भी प्रशिक्षण दिया जा रहा है कि वह अपने अधीनस्थों का अच्छे ढंग से पर्यवेक्षण कर सकें और मतदाताओं की सुविधाओं को बेहतर बना सकें। उन्होंने इस बात पर भी बल दिया कि नागरिकों से मतदाता फार्म भरवाते समय उनका मोबाइल नम्बर तथा पता

सही–सही दर्ज करायें, जिससे कि उन्हें अपने आवेदन को ट्रैक करने में आसानी हो। साथ ही फार्म–6, 7 व 8 से संबंधित जानकारी अधिक से अधिक प्रसारित कराएं। उन्होंने कहा कि तीनों चरणों के प्रशिक्षण के पश्चात प्रदेश की वर्तमान वोटर लिस्ट में काफी सुधार दिखेगा। मतदाता सूची पुनरीक्षण से पहले सभी अधिकारी पूर्ण रूप से प्रशिक्षित तथा कार्यों एवं डाटा की पूर्ण जानकारी हो, इसके प्रयास किए जा रहे हैं।

मुख्य निर्वाचन अधिकारी ने जनपद वाराणसी में द्वितीय चरण के प्रशिक्षण सत्र में 23 जिला निर्वाचन अधिकारियों को निर्वाचक नामावली के आगामी पुनरीक्षण के दृष्टिगत एक दिवसीय प्रशिक्षण प्रदान किया। इसमें आजमगढ़, बलिया, मऊ, वाराणसी, जौनपुर, गाजीपुर, चंदौली, भदोही, मिर्जापुर, सोनभद्र, कुशीनगर, महाराजगंज, देवरिया, कौशांबी, प्रयागराज, अयोध्या, अंबेडकरनगर बस्ती, प्रतापगढ, सिद्धार्थनगर, अमेठी, सुल्तानपुर एवं संतकबीरनगर सहित 23 जनपदों के जिला निर्वाचन अधिकारी उपस्थित रहे।

मेरठ में प्रथम चरण में 07 जुलाई 2025 को 15 जनपदों के जिला निर्वाचन अधिकारियों को प्रशिक्षण दिया जा चुका है। इससे पूर्व लखनऊ में 17, 19 व 25 जून 2025 में प्रदेश के 403 विधान सभा के रजिस्ट्रीकरण निर्वाचक अधिकारियों का एक दिवसीय प्रशिक्षण कराया गया है।

सम्पर्क सूत्र– प्रदीप कुमार

राम यतन/04:00 **PM**

फोन नम्बर Direct : 0522–2239023 ई0पी0बी0एक्स0 : 0522–2239132,33,34,35 एक्सटेंशन : 223 224 225
फैक्स नं0 : 0522–2237230 0522–2239586 ई–मेल : upsoochna@gmail.com,
वेबसाइट :www.information.up.gov.in